

झारखण्ड सरकार

**झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।**

पत्रांक :-  
प्रेषक,

रा0खा0आ0 (विविध)-22/2022 - 1013

संजय कुमार  
सदस्य सचिव,  
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव  
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग  
झारखण्ड, राँची।

विषय:-

आयोग के खूँटी एवं राँची जिलों के भ्रमण के दौरान प्राप्त  
शिकायतों/सुझावों के संबंध में।

राँची, दिनांक:- 11.12.2023

महाशय,


उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशानुसार कहना है कि आयोग के माननीय अध्यक्ष एवं सदस्या द्वारा दिनांक-04.10.2023 से दिनांक-05.10.2023 तक खूँटी एवं राँची जिलों का भ्रमण किया गया। इस दौरान उनके द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत संचालित योजनाओं का निरीक्षण, सुनवाई/जनसुनवाई एवं इन जिलों के विभिन्न पंचायतों के मुखियागण के साथ संवाद किया गया। उक्त के क्रम में आयोग के संज्ञान में आये निम्न मामलों में विभाग से पत्राचार किये जाने का निदेश प्राप्त है:-

1. खूँटी जिला भ्रमण के दौरान यह बात आयोग के संज्ञान में आई जैसे जन वितरण प्रणाली केन्द्र जो ऑफलाईन संचालित हैं, उन्हें नेटवर्क क्षेत्र में आकर राशन का वितरण करना पड़ता है।
2. खूँटी जिला में जन सुनवाई के दौरान यह बात भी बताई गई कि कोरोना काल में जितना राशन का वितरण हुआ है उनकी इन्ट्री नहीं हो पाई है। इस कारण जिले को कम आवंटन प्राप्त हो रहा है।
3. राँची जिला में मुखिया संवाद के दौरान सुझाव प्राप्त हुआ कि राशन डीलर द्वारा मुखिया से प्रति माह सत्यापन कराया जाय कि उन्हें कितना राशन आवंटित हुआ एवं कितना राशन का वितरण किया गया। ऐसा करने से भ्रष्टाचार पर नियंत्रण किया जा सकता है।
4. राँची जिला में मुखिया संवाद के दौरान सुझाव प्राप्त हुआ कि पूर्व में मुखिया द्वारा सत्यापित किये जाने के बाद लोगों का राशन कार्ड बनता था एवं मुखिया द्वारा भी गरीब एवं योग्य व्यक्तियों को चिन्हित किया जाता था। वर्तमान में ऐसा नहीं रहने के कारण सम्पन्न लोगों का राशन कार्ड बन रहा है। अतः कार्ड बनाने के लिए व्यवस्था में सुधार कर स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाय।

अतः अनुरोध है कि आयोग के भ्रमण के दौरान संज्ञान में आये उपरोक्त बिन्दुओं/सुझावों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0- खूँटी एवं राँची जिला भ्रमण प्रतिवेदन।

विश्वासभाजन



(संजय कुमार)  
सदस्य सचिव,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।